

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा नं० राजस्व वाद 22/2019

वादी :-

1. मूलाराम पुत्र मोटिया जाति जाट निवासी आकडली घनसिंह तहसील, पचपदरा ।
बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. गंगाराम पुत्र मोटिया जाति जाट निवासी आकडली घनसिंह तह. पचपदरा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपरिस्थित :- 1. श्री अचलाराम थोरी वादी वकील



अन्तिम डिक्री

दिनांक :- 21.01.2021

वाद के वाद को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.12.2019 को जारी कर बाई गिट्स एण्ड बंटवाडा के लिए तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त कर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 140 रकबा 5.08 बीघा, खसरा सं. 141 रकबा 04 विस्वा, खसरा सं. 142 रकबा 10 बीघा, खसरा सं. 143 रकबा 13 बीघा, खसरा सं. 144 रकबा 89.08 बीघा, खसरा सं. 329 रकबा 04 विस्वा कुल रकबा 118.04 बीघा राजस्व गांव आकडली घनसिंह पटवार हल्का आकडली में बाई गिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा तकासमा करने हेतु विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा से विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक /मूअ/2020/1660 दिनांक 20.08.2020 के द्वारा न्यायालय में दिनांक 24.08.2020 प्राप्त हुआ ।

तहसीलदार पचपदरा ने विभाजन प्रस्ताव दोनों पक्षकारान की आपसी सहमति एवं माफिक कब्जे काश्त अनुसार वादग्रस्त आराजी का नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया ।

वादी के वकील की विभाजन प्रस्ताव पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी विद्वान अधीकरता के द्वारा विभाजन प्रस्ताव दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में माफिक कब्जे काश्त एवं आपसी सहमती से तैयार किया गया है, जिससे स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन यह कि विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्षकारान की आपसी सहमति एवं माफिक काश्त अनुसार तैयार किया गया है, जिसे स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी पृथक -पृथक नीचे अंकित अनुसार विभाजित कर खातेदारी घोषित की जाती है।

क. स	खातेदार	ग्राम का नाम	ख0 न0	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1.	मूलाराम पुत्र मोटाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	आकड़ली धनसिंह	329	0-04	गै. मु.	-	हरा
			142	05-00	बा.सो	0.30	
			144	53-13	बा.सो	3.21	
2.	गंगाराम पुत्र मोटाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	आकड़ली धनसिंह	140	5-08	बा. सो	0.32	नारंगी
			141	0-04	गै. मु	-	
			142	5-00	बा.सो	0.30	
			143	12-16	बा.सो	0.76	
			144	08-09	बा.सो	0.50	
			144	27-00	बा.सो	1.62	
3.	मूलाराम, गंगाराम पुत्र मोटाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	आकड़ली धनसिंह	143	0-04	गै.मु रास्ता	-	आसमानी
			144	0-06	प्रयोजनार्थ	-	

तहसीलदार पचपदरा तदानुसार वादग्रस्त आराजी विभाजित कर लगान पृथक पृथक दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड व नक्शा में अमल दरामद करे। विभाजन प्रस्ताव एवं विभाजित नजरी नक्शा संलग्न इस अन्तिम ड्रिंकी के अभिन्न अंग होंगे। वादी वकील स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर ड्रिंकी पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(*[Signature]*)
 मरिशा सोनी)
 सहायक कलेक्टर
 (D.D.O.) बाहदुरगढ़

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(*[Signature]*)
 सहायक कलेक्टर
 (D.D.O.) बाहदुरगढ़
 सहायक कलेक्टर
 (D.D.O.) बाहदुरगढ़

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. मुकाम बालोतरा
बड़जलारा- पीठासीन अधिकारी नरेश सोनी आर.ए.एस.

वादी :- मूलाराम पुत्र मोटिया जाति जाट निवासी आकडली धनसिंह तहसील, पचपदरा ।

बनाम

प्रतिवादीगण :-1. गंगाराम पुत्र मोटिया जाति जाट निवासी आकडली धनसिंह तह.

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

1 वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा राजस्व वाद 22/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी मिजानिब मुद्दई वकील श्री अचलाराम थोरी , व मिनजानिब एक पक्षीय अन्तिम डिगरी दी जाती है कि - वादी के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी पृथक -पृथक नीचे अंकित अनुसार विभाजित की जाती है।

क. स	खातेदार	ग्राम का नाम	ख0न 0	रकबा	किस्म	लगा न	दरग
1.	मूलाराम पुत्र मोटाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	आकडली धनसिंह	329 142 144	0-04 05-00 53-13	गै. मु. बा.सो बा. सो	- 0.30 3.21	हरा
2.	गंगाराम पुत्र मोटाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	आकडली धनसिंह	140 141 142 143 144 144	5-08 0-04 5-00 12-16 08-09 27-00	बा. सो गै. मु बा.सो बा.सो बा.सो बा.सो	0.32 - 0.30 0.76 0.50 1.62	नारंगी
3.	मूलाराम, गंगाराम पुत्र मोटाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	आकडली धनसिंह	143 144	0-04 0-06	गै.मु रास्ता प्रयोजनार्थ गै.मु रास्ता प्रयोजनार्थ		आसमा नी

तहसीलदार पचपदरा तदानुसार वादग्रस्त आराजी विभाजित कर लगान पृथक पृथक दर्ज कर राजस्व रेकर्ड व नक्शा में अमल दरामद करे खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। विभाजन प्रस्ताव एवं विभाजित नजरी नक्शा संलग्न इस अन्तिम ड्रिंकी के अभिन्न अंग होंगे ।



(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(पचपदरा) बालोतरा